सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-2134/CG/22/2023-ESDW (RU-I) दिनांक: 26-05-2025

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला- – सरगुजा,
कलेक्टर कार्यालय,
अंबिकापुर, सरगुजा,
छतीसगढ़-497001
ई-मेल: surguja.cg@nic.in

विषय: छत्तीसगढ़ के सरगुजा के मैनपाट में एम्ब्युलेन्स नहीं मिलने पर आदिवासी महिला सोनमती की प्रसव पीड़ा से मौत होने के संबंध में श्री आलोक दुबे, पार्षद, महारणा प्रताप वार्ड नंबर-6, नगरपालिका निगम अम्बिकापुर, शिवायन विला, प्रतापपुर नाका, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़-497001 का दिनांक 01.08.2023 का अभ्यावेदन ।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 28.08.2023.

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के समसंख्यक नोटिस दिनांक 28.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करें। सूचित किया जाता है की उक्त संबंध में आयोग को अभी तक आपकी ओर से कोई उत्तर/रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

2. अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओ पर कि गई कार्रवाही से संबन्धित सूचना/रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

संलग्न यथोपरि.

S.No 9164-9165
date 29.5.2025

O/c

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
उप-निदेशक/Deputy Director
E-Mail: rk.dubey@ncst.nic.in
दूरभाष: 011-20819839

प्रतिलिपि संलग्न:

जारी किया
ISSUED

श्री आलोक दुबे,
पार्षद, महारणा प्रताप वार्ड नंबर-6,
नगरपालिका निगम अम्बिकापुर,
वायन विला, प्रतापपुर नाका, अम्बिकापुर,
जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़-497001

CIVIL INDIA
NEWS NETWORK

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-2134/CG/22/2023-ESDW (RU-I) दिनांक: 07.10.2025

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला- – सरगुजा,
कलेक्टर कार्यालय,
अंबिकापुर, सरगुजा,
छत्तीसगढ़-497001
ई-मेल: surguja.cg@nic.in

विषय: छत्तीसगढ़ के सरगुजा के मैनपाट में एम्ब्युलेन्स नहीं मिलने पर आदिवासी महिला सोनमती की प्रसव पीड़ा से मौत होने के संबंध में श्री आलोक दुबे, पार्षद, महाराणा प्रताप वार्ड नंबर-6, नगरपालिका निगम अम्बिकापुर, शिवायन विला, प्रतापपुर नाका, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़-497001 का दिनांक 01.08.2023 का अभ्यावेदन ।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 26.05.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **दिनांक 17.10.2025** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

07.10.2025

(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
ई-मेल: chetan.sharma777@ncst.nic.in
दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री आलोक दुबे,
पार्षद, महाराणा प्रताप वार्ड नंबर-6,
नगरपालिका निगम अम्बिकापुर,
वायन विला, प्रतापपुर नाका, अम्बिकापुर,
जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़-497001
ई-मेल: alokdubey12356@gmail.com
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।